

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

बिहार राज्य एवं अन्य

बनाम

श्रीमती प्रतिमा कुमारी

2019 की दीवानी समीक्षा सं. 354

(2014 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 21937 में)

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 21937/2014 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2018 इस आधार पर पुनर्विचारित किया जाना उचित है कि राज्य द्वारा कोई प्रत्युत्तर हलफनामा दायर नहीं किया गया था और सेवा नियमों से पेंशन नियमों में रूपांतरण की जानकारी न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराई गई थी?

हेडनोट्स

माननीय रिट न्यायालय को यह बताया गया था कि उत्तरदाताओं ने नियम 43(ख) के अंतर्गत कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की है, जबकि वास्तविकता यह थी कि उत्तरदाताओं ने सेवा नियमों के अंतर्गत प्रारंभ की गई कार्यवाही को पेंशन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही में परिवर्तित कर दिया था और तत्पश्चात उक्त कार्यवाही में आगे बढ़ते हुए याचिकाकर्ता पर दंड भी आरोपित कर दिया था। (कंडिका 16)

किसी अधिवक्ता की त्रुटि अथवा न्यायालय की दृष्टि से चूक के कारण स्पष्ट निवेदन के अभाव में हुई भूल, पुनर्विचार का आधार हो सकती है। (कंडिका 18)

राज्य की प्रत्युत्तर-पत्र के अभाव में, इस न्यायालय को पेंशन नियमों के नियम 43(ख) के अंतर्गत की गई कार्यवाही की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी। (कंडिका 22)

याचिका स्वीकार की जाती है। (कंडिका 25)

न्याय दृष्टान्त

मुसम्मत जमना कुअर बनाम लाल बहादुर, *एआईआर 1950 (37) एफ सी 131*; अरुण देव उपाध्याय बनाम इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विसेज लिमिटेड, *2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी.*

779

अधिनियमों की सूची

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908; बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)

नियमावली, 2005; बिहार पेंशन नियमावली, 1950

मुख्य शब्दों की सूची

पुनर्विचार; अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि; धारा 43(ब) पेंशन नियम; अनुशासनात्मक कार्यवाही;

सेवानिवृत्त लाभ; आदेश की वापसी; रिट क्षेत्राधिकार; प्रक्रिया संबंधी चूक

प्रकरण से उत्पन्न

सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 21937 / 2014 में दिनांक 06.11.2018 को पारित आदेश।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री राम विनय प्रसाद, श्री अपूर्व कुमार, अधिवक्ता, श्री आभांजली, जी.ए.-12 से ए.सी.

उत्तरदाता की ओर से: श्री शिवेन्द्र किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सरोज कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 21937
में
2019 की दीवानी समीक्षा सं. 354

=====

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), बिहार सरकार, पटना।
3. क्षेत्रीय उप-निदेशक, शिक्षा, दरभंगा मंडल, दरभंगा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्तीपुर।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, (एस.ई.), समस्तीपुर।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

श्रीमती. प्रतिमा कुमारी, पति- श्री सुधीर कांत रॉय, निवासी गाँव/मोहल्ला मबरौर, थाना रोसेरा शहर और जिला समस्तीपुर।

... .. विपक्ष

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री राम विनय प्रसाद, अधिवक्ता
		श्री आभांजली, जी.ए.-12 से ए.सी.
		श्री अपूर्व कुमार, अधिवक्ता
विपक्ष/ओं के लिए	:	श्री शिवेंद्र किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सरोज कुमार, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक आदेश

7 12-09-2023 इस मामले को विरोधी पक्ष के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किए गए उल्लेख पर अधिसूचित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मामला कल के वाद सूची में था और आज इस पर विचार किया जाना था, लेकिन अचानक मामला सूची से बाहर हो गया था।

2. पूछताछ करने पर यह बताया गया कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी और इस कारण से मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेन्द्र किशोर को सुना गया, जिनकी सहायता एकमात्र विपक्षी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री सरोज कुमार ने की।

4. यह आवेदन, सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 21937/2014 में विद्वान रिट न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06.11.2018 के आदेश की समीक्षा हेतु बिहार राज्य की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 21937/2014, रिट याचिकाकर्ता-विपक्ष द्वारा दायर किया गया था, जिसमें निदेशक (एस.ई.), बिहार, पटना के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन सं. 1729 दिनांक 16.06.2014 को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी करने का अनुरोध किया गया था, जिसके द्वारा और जिसके तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 (इसके बाद 'सेवा नियम' के रूप में संदर्भित) के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए एक अन्य प्रार्थना की गई थी जिसमें उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

6. यह तर्क दिया गया है कि उक्त रिट आवेदन पहली बार 06.12.2017 को सुनवाई के लिए लिया गया था जब याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था। स्थगन का एक साधारण आदेश पारित किया गया जिसमें सूचीबद्ध करने की अगली तारीख 24.01.2018 तय की गई। इसके बाद, मामले को 06.11.2018 को सूचीबद्ध किया गया था। उक्त तिथि पर, विद्वान रिट न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि इस मामले में चार साल बाद भी कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया था। विद्वान रिट

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए रिट आवेदन पर निर्णय लिया कि एक बार याचिकाकर्ता के सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद, स्वामी और सेवक का संबंध समाप्त हो गया, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद सेवा नियमों के तहत क्षेत्राधिकार का कोई भी प्रयोग पूरी तरह से क्षेत्राधिकार से बाहर होगा। वास्तव में, विद्वान रिट न्यायालय ने अपने विचार व्यक्त किए कि सेवानिवृत्ति के बाद, बिहार पेंशन नियम, 1950 (इसके बाद 'पेंशन नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 43 (ख) के तहत कुछ शर्तों के साथ आक्षेपित कार्रवाई की अनुमति होगी।

7. विद्वान अधिवक्ता दलील देते हैं कि विद्वान रिट न्यायालय ने 2014 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 21937 का निपटान दिनांक 06.11.2018 के आदेश के माध्यम से किया था। आदेश के संचालन भाग में कहा गया है कि चूंकि उत्तरदाताओं ने नियम 43 (ख) के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की है, इसलिए वे पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ को जब्त करने के लिए कोई कार्रवाई करने से वंचित हैं क्योंकि याचिकाकर्ता 31.05.2014 को सेवानिवृत्त हुआ है।

8. यह दलील दी जाती है कि जवाबी हलफनामे के अभाव में, विद्वान रिट न्यायालय को सूचित नहीं किया जा सका कि सेवा नियमों के तहत शुरू की गई कार्यवाही को पेंशन नियमों के नियम 43 (ख) के तहत कार्यवाही में परिवर्तित कर दिया गया था और सजा देने का आदेश पहले ही पारित किया जा चुका था। यह दलील दिया जाता है कि आदेश के परिचालन भाग में, विद्वान रिट न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस आधार पर आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ा है कि उत्तरदाताओं ने नियम 43 (ख) के तहत कार्यवाही की शुरुआत नहीं की है और यह केवल इसलिए हुआ है क्योंकि विद्वान रिट न्यायालय के समक्ष सही तथ्य उपलब्ध नहीं था। यह दलील दिया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में, यह उचित और न्यायसंगत होगा कि दिनांक 06.11.2018 के आदेश को पुनः स्मरण किया जाए और रिट आवेदन पर नए सिरे से सुनवाई की जाए।

9. माननीय संघीय न्यायालय के मोसमात जमना कौर बनाम लाल बहादुर एवं

अन्य के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है, जो ए.आई.आर. (37) 1950 एफ.सी. 131 में दर्ज है।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिवेंद्र किशोर ने विद्वान अधिवक्ता श्री सरोज कुमार की सहायता से समीक्षा आवेदन का विरोध किया है। यह दलील दी जाती है कि रिट आवेदन अंतिम निपटान से पहले लगभग चार साल तक लंबित रहा था। चार वर्षों की अवधि के दौरान, राज्य ने कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया था।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि जहाँ तक निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), बिहार द्वारा जारी ज्ञापन सं. 1863 दिनांक 17.06.2015 का प्रश्न है, जिसके द्वारा सेवा नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के अंतर्गत कार्यवाही में परिवर्तित कर दिया गया था, यद्यपि इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को भेज दी गई है, परंतु याचिकाकर्ता को वह प्रति प्राप्त नहीं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता ने उक्त ज्ञापन सं. 1863 दिनांक 17.06.2015 को चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

12. विपक्षी पक्ष के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे दलील दी है कि याचिकाकर्ता को ज्ञापन सं. 2679 दिनांक 11.09.2015 में निहित दंड आदेश भी प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके द्वारा पेंशन नियमों के नियम 43(ख) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि याचिकाकर्ता की पेंशन में 5% की कटौती की जाएगी। यह आदेश भी याचिकाकर्ता की जानकारी में नहीं था।

13. ऐसा कहने के बाद, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अभी भी तर्क देते हैं कि जिस आदेश की समीक्षा की गई है, उसके अभिलेख में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अरुण देव उपाध्याय बनाम इंडीग्रेटेड सेल्स सर्विस लिमिटेड और अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जो 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 779 में दर्ज है। यह दलील दी जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में उन तीन शर्तों का संकेत दिया है जिसके तहत

यह न्यायालय समीक्षा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

विचार

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विरोधी पक्ष के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने के साथ-साथ अभिलेखों के अवलोकन करने पर, इस न्यायालय ने पाया कि, पहली बार, रिट आवेदन 06.12.2017 को सूचीबद्ध किया गया था। उस तारीख को याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ, इसलिए मामले को स्थगित कर दिया गया था। उक्त तिथि पर कोई प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण का संकेत नहीं दिया गया था और इस न्यायालय ने राज्य को जवाबी हलफनामा दायर करने का कोई निर्देश नहीं दिया था। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को अपने दम पर जवाबी हलफनामा दायर नहीं करना चाहिए था, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है कि मामले की सुनवाई की पहली तारीख को यह न्यायालय अपने प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण का संकेत देता है और राज्य से जवाबी हलफनामा दायर करने का आह्वान करता है। इस मामले में, क्योंकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता मौजूद नहीं थे, इसलिए मामले को केवल स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद, इसे 06.11.2018 को सुनवाई के लिए लिया गया था जब समीक्षा का आदेश पारित किया गया था।

16. दिनांक 06.11.2018 के आदेश को केवल पढ़ने से पता चलता है कि विद्वान रिट न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद यह विचार रखा कि याचिकाकर्ता की कार्यवाही शुरू करने और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को जब्त करने की पूरी कवायद पूरी तरह से क्षेत्राधिकार से बाहर है। विद्वान रिट न्यायालय को यह समझने के लिए दिया गया था कि उत्तरदाताओं ने नियम 43(ख) के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की थी, जबकि तथ्य यह था कि उत्तरदाताओं ने सेवा नियमों के तहत शुरू की गई कार्यवाही को पेंशन नियमों के तहत कार्यवाही में बदल दिया था, इसके बाद, उक्त कार्यवाही में आगे बढ़े थे और याचिकाकर्ता पर दंड लगाया जिसके द्वारा उसकी पेंशन को 5% तक कम कर दिया गया

था।

17. वास्तव में, विपक्ष के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने स्वयं अधिवक्ता-संघ में कहा है कि याचिकाकर्ता को कार्यालय के उस आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी जिसके द्वारा कार्यवाही को पेंशन नियमों के नियम 43(ख) के तहत कार्यवाही में परिवर्तित किया गया था और फिर बाद के आदेश भी, इसलिए, इसे विद्वान रिट न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया जा सका।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **मोसमात जमना कौर** (उपरोक्त) के मामले में, यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि एक त्रुटि जो एक अधिवक्ता की गलती के कारण या न्यायालय की ओर से निरीक्षण के कारण, एक स्पष्ट अभिवचन के अभाव में हुई है, समीक्षा के लिए एक आधार हो सकता है। **मोसमात जमना कौर** (उपरोक्त) मामले में दिए गए फैसले के कंडिका '6', '7' और '8' को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

“[6] अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले में इस त्रुटि को एक समीक्षा याचिका के माध्यम से सुधारने का प्रयास की है लेकिन उसमें वह असफल रही। समीक्षा याचिका में दिए गए फैसले में उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणियां की:

"अब जबकि हमने पृष्ठ 11 सहित मुद्रित अभिलेख का अवलोकन कर लिया है, हमारे पास मुद्रित अभिलेख के पृष्ठ 11 पर कंडिका 7 के मद्देनजर यह मानने का कारण है कि अपील का परिणाम यह निर्णय होना चाहिए था कि 20 अगस्त 1936 के लिखित बयान में दर्ज सारी संपत्ति, मोसमात जमना कौर की थी क्योंकि वह कुंज बिहारी लाल की उत्तराधिकारी थी और धारा

4 के तहत आवेदक नहीं थी। दुर्भाग्य से जिस तारीख को हमने अपील पर निर्णय लिया, उस दिन श्री पी. एम. वर्मा स्वयं अपने मुवक्किल के मामले को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे और उनके मुवक्किल के किसी भी प्रतिनिधि ने उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी। परिणामस्वरूप, वह हमें यह नहीं दिखा पाए कि 20 अगस्त, 1936 के लिखित बयान में वर्णित सभी संपत्तियाँ आवेदकों द्वारा कुंज बिहारी लाल की मानी गई थी और यह कि श्रीमती जमना कौर के दावे में संशोधन (अर्थात्, कंडिका 15 को जोड़कर) द्वारा, श्रीमती जमना कौर ने 20 अगस्त 1936 के लिखित बयान में दर्ज सभी संपत्तियों पर दावा करने का इरादा किया था। यदि हमारे निर्णय ने श्रीमती जमना कौर को वह सब नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी, तो ऐसा इसलिए नहीं था कि हमने कोई गलती की थी जो अभिलेख में स्पष्ट दिखाई दे, बल्कि इसलिए था क्योंकि श्रीमती जमना कौर के दावे में संशोधन के समय से, अर्थात् 16 अक्टूबर 1930 से, कोई स्पष्ट दलील या तर्क नहीं दिया गया था।”

इस प्रकार, इस निष्कर्ष के बावजूद कि अपीलकर्ता 20 अगस्त 1936 के लिखित बयान में उल्लिखित सभी संपत्तियों के संबंध में घोषणा का हकदार थी, पुनर्विचार याचिका को इस तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया कि अभिलेख में कोई त्रुटि स्थापित नहीं हुई थी।”

“[7] उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल के माननीय न्यायाधीशों के समक्ष अपील करने की अनुमति के

लिए मोसमात जमना कौर द्वारा किया गया आवेदन स्वीकार कर लिया गया था। इस न्यायालय के विस्तृत क्षेत्राधिकार को देखते हुए, यह अपील हमारे समक्ष आई है।”

“[8] इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि इस अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। संपत्ति की वस्तुओं के बारे में गलती, जिसके बारे में मोसमात जमना कौर ने जो दावा किया था, वह अभिलेख के सामने स्पष्ट है। विचारण न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि जमना कौर का दावा राजपत्र अधिसूचना की संपत्ति 3 से 37 से संबंधित है। अपनी संशोधित आपत्ति याचिका के कंडिका 15 में, उसने कुंज बिहारी द्वारा छोड़ी गई सभी संपत्तियों पर दावा किया था। 29 अप्रैल 1942 को, आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया कि ये सभी संपत्तियां कुंज बिहारी की संपत्ति से संबंधित हैं और जहां तक देनदारों का संबंध है, वे राजपत्र अधिसूचना में उल्लिखित केवल दो संपत्तियों के मालिक थे। इस स्थिति में यह उचित होता यदि उच्च न्यायालय समीक्षा याचिका पर इस त्रुटि को ठीक करता और अपीलकर्ता को प्रिवी काउंसिल या इस न्यायालय में अपील करने की परेशानी और खर्च से बचाता। चाहे गलती अधिवक्ता की गलती के कारण हुई हो या यह न्यायालय की ओर से एक निरीक्षण में आई हो, ऐसी परिस्थिति नहीं थी जो न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा की अधिकारिता के प्रयोग करने के लिए प्रभावित कर सकती है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि त्रुटि अभिलेख के सामने

स्पष्ट थी और हमारी राय में यह सवाल कि त्रुटि कैसे हुई, इस जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है। विचारण न्यायालय के फैसले पर केवल एक नज़र डालने से किसी और चीज के अलावा त्रुटि का संकेत मिलता है।”

19. जहाँ तक विपक्ष के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णय का संबंध है, एक बार फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार रखा है कि समीक्षा करने की शक्ति का प्रयोग दी.प्र.स. के आदेश 47 नियम 1 के तहत व्यक्त की गई तीन शर्तों में से किसी एक के अस्तित्व पर किया जा सकता है।

20. दी.प्र.स. के आदेश XLVII नियम 1 के तहत प्रावधान को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

“1. निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन- कोई भी स्वयं को व्यथित मानने वाला व्यक्ति-

(क) किसी डिक्री या आदेश द्वारा जिससे अपील की अनुमति है, लेकिन जिससे कोई अपील नहीं की गई है,

(ख) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे कोई अपील की अनुमति नहीं है, या

(ग) लघु वाद न्यायालय के एक संदर्भ के निर्णय से, और जो नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज से, जो उचित तत्परता करने के बाद, उसकी जानकारी में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था, या किसी गलती या त्रुटि के कारण जो अभिलेख के सामने स्पष्ट है, या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, पारित डिक्री या उसके खिलाफ किए

गए आदेश की समीक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उस न्यायालय में निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है जिसने डिक्री पारित किया या आदेश दिया है।

(2) एक पक्ष जो किसी डिक्री या आदेश से अपील नहीं कर रहा है, वह किसी अन्य पक्ष द्वारा अपील के लंबित होने के बावजूद निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, सिवाय इसके कि जहां ऐसी अपील का आधार आवेदक और अपीलकर्ता के लिए समान है, या जब, उत्तरदाता होने के नाते, वह अपील न्यायालय में वह मामला पेश कर सकता है जिस पर उसने समीक्षा के लिए आवेदन किया था।

[स्पष्टीकरण- यह तथ्य कि विधि के किसी प्रश्न पर निर्णय, जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, किसी अन्य मामले में किसी उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा उलट दिया गया है या संशोधित कर दिया गया है, ऐसे निर्णय की समीक्षा का आधार नहीं होगा।]”

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अरुण देव उपाध्याय** (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के कंडिका ‘9’ से ‘14’ को तत्काल संदर्भ हेतु नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

“9. उपरोक्त प्रावधानों का एक सादा पाठ अनिश्चित शब्दों में कहता है कि समीक्षा करने की शक्ति का प्रयोग केवल उसमें व्यक्त तीन शर्तों में से किसी एक के अस्तित्व पर किया जा सकता है। ‘अभिलेख के सामने एक गलती या एक स्पष्ट त्रुटि शर्तों में से एक है। केवल इसी आधार पर समीक्षा को

प्राथमिकता दी गई है। उपरोक्त वाक्यांश की व्याख्या दशकों से इस न्यायालय के आधिकारिक निर्णय द्वारा लगातार की गई है। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.आर. दास, न्यायमूर्तिगण एम. हिदायतुल्ला और श्री के.सी. दास गुप्ता, शामिल हैं, ने सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हेगड़े बनाम मिलिकारजुन भवनप्पा तिरुमाले' के मामले में 'अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि' वाक्यांश के दायरे पर चर्चा की। उक्त मामले में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती इस आधार पर उच्च न्यायालय का निर्णय था कि क्या यह अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है। उच्च न्यायालय ने उत्प्रेषण की एक रिट जारी की थी और न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया था और मामलातदार को बहाल किया। रिपोर्ट के कंडिका 8 में, जिस मुद्दे पर विचार किया जाना था, वह परिलक्षित होता है। उसी को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“8. इस न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में हमारे विचार के लिए जो मुख्य प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या अभिलेख में कोई त्रुटि स्पष्ट है जिससे उच्च न्यायालय अभिलेख मंगवा सके और उत्प्रेषण रिट द्वारा आदेश को रद्द कर सके या क्या त्रुटि, यदि कोई हो, "केवल एक त्रुटि थी जो अभिलेख में स्पष्ट नहीं थी", जिसे केवल अपील द्वारा ही ठीक किया जा सकता है यदि कोई अपील हो।”

10. अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री पर चर्चा करने के बाद, निष्कर्ष को रिपोर्ट के कंडिका 17 में बताया गया है। विचार यह था कि जहां एक त्रुटि जिसे उन बिंदुओं पर तर्क की एक लंबी प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाना है जहां दो राय हो सकती हैं, शायद ही अभिलेख पर एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है। यह विचार कि समीक्षा क्षेत्राधिकार में आदेश पर विरोध करने वाले किसी बिंदु का प्रचार करने के लिए तर्कों की लंबी प्रक्रिया को अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि नहीं कहा जा सकता है। रिपोर्ट के कंडिका 17 से प्रासंगिक उद्धरण यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“17.....क्या निष्कर्ष गलत है और यदि ऐसा है, तो क्या अभिलेख के सामने ऐसी त्रुटि स्पष्ट है? यदि यह स्पष्ट है कि त्रुटि यदि कोई है तो अभिलेख के सामने स्पष्ट नहीं है, तो हमारे लिए यह तय करना आवश्यक नहीं है कि नोटिस के प्रश्न पर बॉम्बे उच्च न्यायालय का निष्कर्ष सही है या नहीं। एक त्रुटि जिसे उन बिंदुओं पर तर्क की एक लंबी प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाना है जहाँ संभवतः दो राय हो सकती है इसे अभिलेख के सामने स्पष्ट रूप से त्रुटि नहीं कहा जा सकता। जैसा कि प्रतिद्वंद्वी दलीलों की उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि वर्तमान मामले में कथित त्रुटि स्पष्ट नहीं है और यदि इसे स्थापित किया जा सकता है, तो इसे लंबे और जटिल तर्कों द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि इस तरह की त्रुटि को इस तरह की रिट जारी करने के लिए

उच्च न्यायालय की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियम के अनुसार उत्प्रेषण के रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। हमारी राय में उच्च न्यायालय का यह सोचना गलत था कि बॉम्बे राजस्व न्यायाधिकरण के फैसले में कथित त्रुटि है, अर्थात्, कि कब्जा करने का आदेश तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि पूर्व सूचना नहीं दी गई हो, अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि थी जिसे उत्प्रेषण के एक रिट द्वारा ठीक किया जा सके।”

11. एक अन्य मामला जिस पर संक्षेप में विचार किया जा सकता है, वह है *पैरिसन देवी बनाम सुमित्रा देवी*² का मामला, जहाँ इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दी.प्र.स. के आदेश XLVII नियम 1 के तहत, एक निर्णय अन्य बातों के अलावा, यदि अभिलेख में कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट दिखाई दे तो समीक्षा के लिए खुला हो सकता है। एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसका पता तर्क की प्रक्रिया द्वारा लगाया जाना है, उसे अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि नहीं कहा जा सकता जो न्यायालय को समीक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करने का औचित्य प्रदान करती है। इसने यह भी टिप्पणी की कि एक समीक्षा याचिका को एक छिपी हुई अपील के रूप में नहीं माना जा सकता।

12. कई निर्णयों का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें यह माना गया है कि समीक्षा करने की शक्ति का प्रयोग इस

2 (1997) 8 एस.सी.सी. 715

आधार पर नहीं किया जा सकता कि निर्णय गुण-दोष के आधार पर त्रुटिपूर्ण था क्योंकि यह अपील न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। समीक्षा की शक्ति को अपीलीय शक्तियों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अपीलीय शक्ति अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को ठीक कर सकती है। निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया जा सकता है:

(1) शिवदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर 1963 एस.सी. 1909

(2) अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशक शर्मा, (1979) 4 एस.सी.सी. 389: ए.आई.आर 1979 एस.सी. 1047

(3) मीरा भंज (श्रीमती) बनाम निर्मला कुमारी चौधरी (श्रीमती), (1995) 1 एस.सी.सी. 170

(4) उमा नाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2009) 12 एस.सी.सी. 40

13. हाल ही में, इस न्यायालय ने 24 फरवरी, 2023 को दीवानी अपील सं. 1167-1170/2023 में एस. मुरली सुंदरम बनाम जोतिबाई कन्नन और अन्य के बीच पारित एक निर्णय में यह टिप्पणी की कि भले ही जिस निर्णय की समीक्षा की जानी है वह त्रुटिपूर्ण हो, फिर भी वह दी.प्र.स. की आदेश XLVII नियम 1 के तहत शक्तियों के प्रयोग में समीक्षा का आधार नहीं हो सकता। इसके अलावा, पेरी कंसाग्रा बनाम स्मृति मदन

कंसाया³ के मामले में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि आदेश XLVII नियम 1 के तहत एक आवेदन में समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, दी.प्र.स. की धारा 114 के साथ, समीक्षा न्यायालय अपने आदेश के विरुद्ध अपील नहीं करता है।

14. शांति कंडक्टर्स (प्र.) लिमिटेड बनाम असम एस.ई.बी.⁴ के बीच एक अन्य मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि आदेश XLVII नियम 1 के साथ दी.प्र.स. की धारा 114 के तहत समीक्षा का दायरा सीमित है और समीक्षा की आड़ में, याचिकाकर्ता को उन प्रश्नों पर पुनर्विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिन पर पहले ही विचार किया जा चुका है और निर्णय लिया जा चुका है। आगे यह भी कहा गया कि एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसका पता तर्क की प्रक्रिया द्वारा लगाया जाना है, उसे अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि नहीं कहा जा सकता।

22. वर्तमान मामले के दिए गए तथ्यों में, जब यह न्यायालय ऊपर उल्लिखित विषय पर न्यायिक निर्णयों को लागू करता है, तो एक बात स्पष्ट है कि इस मामले में समीक्षा-याचिकाकर्ता/आवेदक उन प्रश्नों को फिर से या फिर से नहीं पूछ रहा है जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है और निर्णय लिया जा चुका है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें राज्य के जवाबी हलफनामे के अभाव में, इस न्यायालय को पेंशन नियमों के नियम 43 (ख) के तहत कार्यवाही के संबंध में सही स्थिति से अवगत नहीं कराया जा सका। इस न्यायालय की राय में, जिस आदेश की समीक्षा की गई है, उसमें त्रुटि आदेश के परिचालन भाग में हुई है, जिसे विद्वान रिट न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में दर्ज किया है:-

3 (2019) 20 एस.सी.सी. 753

4 (2020) 2 एस.सी.सी. 677

“चूंकि उत्तरदाताओं ने नियम 43 (ख) के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की है, इसलिए वे पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को जब्त करने के लिए कोई कार्रवाई करने से वंचित हैं क्योंकि याचिकाकर्ता 31.5.2014 को सेवानिवृत्त हुए है।”

23. इस न्यायालय ने पाया कि रिट आवेदन में बयान थे कि उत्तरदाताओं ने पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन रिट आवेदन में कोई बयान नहीं था कि याचिकाकर्ता की पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को जब्त करने की दिशा में कोई कार्रवाई शुरू की गई है। वास्तव में, न्यायालय को इस बात से अवगत नहीं कराया गया था कि पेंशन नियमों के नियम 43 (ख) को बहुत पहले ही ज्ञापन सं. 1863 दिनांक 17.06.2014 के माध्यम से लागू किया जा चुका था।

24. इस न्यायालय की राय में, दिनांक 06.11.2018 के आदेश को वापस लेना आवश्यक है। तदनुसार, समीक्षाधीन आदेश को वापस लिया जाता है।

25. इस दीवानी समीक्षा आवेदन की अनुमति दी जाती है।

26. रिट आवेदन सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 21937/2014 को उपयुक्त शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाए।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

लेखी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।